

राष्ट्रीय परिवार योजना

इस योजना को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अर्न्तगत 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया।

उद्देश्य:

बीपीएल परिवार के जीविकोपार्जक की मृत्यु की दशा में आश्रित परिवार को सहायता देना।

योग्यता :

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 18 से 64 वर्ष की आयु के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु की दशा में सहायता देना।

अनुदान :

1 अगस्त, 1998 से पूर्व

प्राकृतिक मृत्यु की दशा में
दुर्घटना में मृत्यु

— रू 5,000 /—

— रू 10,000 /—

1 अगस्त, 1998 के पश्चात

प्राकृतिक मृत्यु एवं दुर्घटना में मृत्यु की दशा में

— रू 10,000 /—

प्रगति :

(रूपये लाख में)

| वर्ष | वित्तीय आवंटन |
|-----------|---------------|
| 1995—1996 | 266.89 |
| 1996—1997 | 16.28 |
| 1997—1998 | 252.66 |
| 1998—1999 | 371.36 |
| 1999—2000 | 499.74 |
| 2000—2001 | 380.50 |
| 2001—2002 | 367.44 |
| 2002—2003 | 1780.97 |
| 2003—2004 | 1114.71 |
| 2004—2005 | 920.05 |
| 2005—2006 | 1352.02 |
| 2006—2007 | 500.00 |

दिनांक 14 अगस्त 06 से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को बीमा का लाभ देने के उद्देश्य से “ पन्नाधाय जीवन अमृत योजना ” लागू होने के साथ ही राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना समाप्त हो गई है।